

प्राक्कथन

बिहार राज्य के वित्त पर इस प्रतिवेदन को संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

यह प्रतिवेदन वर्ष 2017–18 के दौरान राज्य के वित्तीय निष्पादन का आकलन करने एवं राज्य विधायिका को वित्तीय आँकड़ों पर आधारित लेखापरीक्षा विश्लेषण के आगत को उपलब्ध कराने का प्रयोजन रखता है। यह प्रतिवेदन बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2016, वित्त आयोग प्रतिवेदन (एफ०सी०), सरकारी कार्यों के प्रबंधन हेतु नियमों एवं संहिताओं तथा बजट अनुमान 2017–18 द्वारा उल्लिखित लक्ष्यों के विरुद्ध वित्तीय प्रदर्शन पर भी विश्लेषण करता है। प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय—1 में व्यापक वित्तीय और राजकोषीय प्रबंधन पर लेखापरीक्षा मत शामिल है। यह वित्त लेखे के लेखापरीक्षा पर आधारित है, और यह 31 मार्च 2018 तक बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह सरकार के घाटा प्रबंधन, राजस्व एवं पूँजीगत व्यय की प्रवृत्तियों, आकस्मिक मुद्दे, प्रतिबद्ध एवं अनिवार्य व्यय, ऋण, निवेश एवं उधार ढाँचों पर अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय—2 बजटीय नियंत्रण, व्यय पर नियंत्रण और इसके लेखांकन की पड़ताल करता है। यह विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा, आवंटित संसाधनों के प्रबंधन के ढंग का वर्णन करता है।

अध्याय—3 विभिन्न विधायी, सांविधिक, विधिक एवं मानक व्यवसायिक प्रावधानों के अनुपालन अनिवार्यताओं पर प्रतिवेदन है। यह विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं और वित्तीय नियमों एवं प्रबंधनों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की सूची है।

यह लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप की गई है।